भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1574

उत्तर देने की तारीख : 12.12.2023

उत्तर प्रदेश में पी.एम.-ए.जे.ए.वाई.

1574. श्री धनश्याम सिंह लोधी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पी.एम.-ए.जे.ए.वाई) के उर्ध्वतः आदर्श ग्राम के तहत स्वीकृत उच्च शैक्षिक संस्थाओं में होस्टलों की कुल संख्या क्या है;

(ख) योजनाओं, विशेषकर पी.एम.-ए.जे.ए.वाई और कौशल विकास पहलों के उर्ध्वतः आय-सृजन में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन और विपणन के लिए पी.एम.-ए.जे.ए.वाई. के तहत अनुसूचित जाति महिला सहकारिता की स्थापना में सफलता मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उत्तर प्रदेश में स्थापित ऐसी सहकारिताओं की संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ड.) क्या पी.एम.-ए.जे.ए.वाई. के दायरे को बढ़ाने या अगले वित्त वर्ष में नए घटकों की शुरूआत करने के लिए सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) केन्द्रीय क्षेत्र की 03 मौजूदा स्कीमों नामतः प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति उप-स्कीम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी के लिए एससीए) तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के विलय से बनी एक एकीकृत स्कीम है और यह स्कीम वर्ष 2021-22 से कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम अब तीन घटकों के रूप में कार्यान्वित की जा रही है जो इस प्रकार हैं:-

i) एससी बाहुल्य गांवों का ''आदर्श ग्राम'' में विकास घटक {पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) स्कीम}

ii) 'एससी की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान-सहायता' घटक {पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी के लिए एससीए) स्कीम}

iii) 'उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण' {पूर्ववर्ती बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)}- छात्रावास घटक

उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रावासों के निर्माण के लिए आदर्श ग्राम घटक के स्थान पर छात्रावास घटक में निधियां मंजूर की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 से एकीकृत स्कीम के अस्तित्व में आने के बाद से उत्तर प्रदेश में छात्रावासों के लिए कोई निधियां मंजूर नहीं की गई हैं।

(ख): स्कीमों में, विशेष रूप से पीएम-अजय के आय-सृजक वर्टिकल तथा कौशल विकास पहलों में, अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं की भागीदारी तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(i) राज्यों/संघ राज्यों को जारी कुल अनुदानों में से कम-से-कम 15% का उपयोग, विशेष रूप से एससी महिलाओं के लिए, व्यवहार्य आय सृजक आर्थिक विकास स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

(ii) महिलाओं के आर्थिक विकास को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम में कम-से-कम 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

(iii) राज्य/संघ राज्य उपभोक्ता माल तथा सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन के लिए पीएम-अजय के अंतर्गत एससी महिला सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं।

(ग) और (घ): वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए इस स्कीम के 'एससी की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान-सहायता' घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यों को व्यापक आजीविका परियोजना हेतु अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने की अपेक्षाएं होती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत प्रस्तुत कोई परियोजना प्रस्ताव राज्य से, विशेष करके उपभोक्ता माल तथा सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन हेतु पीएम-अजय के अंतर्गत एससी महिला सहकारी समितियों की स्थापना, का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव राज्य से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड.): आज की तारीख तक, पीएम-अजय के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने अथवा आने वाले वित्तीय वर्ष में नए घटकों को शुरू करने से संबंधित कोई योजना नहीं है।

******